न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 36 / 2024
3. उनवान : 1. गोपाल लाल पुत्र महादेव
   2. नरसाराम पुत्र महादेव
   3. परसाराम पुत्र महादेव
   4. सुरेश पुत्र मोहन लाल
   5. शिवपाल पुत्र महादेव
   6. सोहन लाल पुत्र महादेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम काबरों का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
2. गजानन्द पुत्र हेमाराम जाति जाट ग्राम काबरों का बास, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 06 / 11 / 2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट अपीलांट की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सुरेश चाहर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वाके ग्राम काबरो का बास, पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1391 / 2 रकबा 1.4795 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष दिनांक 20–06–2024 को एक प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम काबरों के बास में पुराना रास्ता, जो खसरा नम्बर 1391 / 2, 1391 / 1, 1390 / 4, 1378, 1390 की सीमा से होकर आगे नाडा तलाई से बोबास्यों की ढाणी होता हुआ बधाल से होकर ईटावा जुनस्या में जा रहा है। उक्त रास्ता सैटलमेन्ट रिकोर्ड के समय से चला आ रहा है। गांव में जाने का आम रास्ता है जो परसराम पुत्र महादेव, सुरेश पुत्र मोहन की जमीन खसरा नम्बर 1391 / 2 जो कि उक्त रास्ते में लगी हुई है। उक्त व्यक्ति के द्वारा रास्ते को अपना हिस्सा बताकर नाजायज तरीके से रास्ते को बंद करने की धमकी देता है। अनुतोष चाहा कि उक्त रास्ते की वर्तमान स्थिति का मौका मुआयना कर हमेशा के लिये कागज कार्यवाही करके उक्त रास्ते को पक्का करने की कृपा करे। इस प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई। इस प्रा. पत्र पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि खसरा नम्बर 1378 में गजानन्द पुत्र हेमाराम के नाम से है तथा खसरा नम्बर 1391 / 2 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम है। खसरा नम्बर 1229 चारागाह है। 1392 / 2 की उतरी सीमा 1391 / 1 की उतरी सीमा व 1390 के बीच में व 1390 / 4 की उत्तर में 1390 / 1 के उत्तर में डोटेड रास्ता बना हुआ

अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

है। ऐसा कोई डोटेड रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है तथा मौके पर रास्ता चालू नही है तथा खसरा नम्बर 1391/2 की पश्चिमी सीमा पर तारबंदी की हुई है। इस प्रकार की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08–07–2024 को पेश होने पर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा दिनांक 19–07–2024 को हल्का पटवारी को रास्ता खुलवाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। दिनांक 23–07–2024 को हल्का पटवारी ने तहसीलदार को पुनः रिपोर्ट प्रेषित की गई कि खसरा नम्बर 1391 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ता दर्ज है तथा 1391/2 के खातेदारों द्वारा रास्ते को खोलने हेतु मना किया जिस पर दिनांक 29–07–2024 को आदेश दिया गया कि ग्राम काबरों का बास के खसरा नम्बर 1378 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1391/2 से निकलता है, जिसे खसरा नम्बर 1391/2 के खातेदारो द्वारा बंद किया गया है। उक्त रास्ते को सुखाचार के आधार पर खुलवाने हेतु टीम गठित कर आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि वो 1391/2 की भूमि की नाप जोख कर बाद में अगर कोई रास्ता था तो उसके बाबत अलग से कार्यवाही की जानी चाहिये थी तथा जब स्वयं प्रार्थी ने मौके पर रास्ता चालू होना बताया है तो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था क्योकि प्रार्थी द्वारा न तो रास्ता 1391/2 में बताया ओर ना ही अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा कि मौके पर रास्ता बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थितियो में तहसीलदार को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। खसरा नम्बर 1378 पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम खातेदारी में नही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने तो कुछ समय पूर्व ही खरीद की थी। कानूनन यदि कदीमी रास्ते को किसी व्यक्ति के द्वारा बंद कर दिया जाता है तो सर्वप्रथम उसके उपचार हेतु आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा अगर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पारित नही किया जाता है तो प्रकरण ग्राम पंचायत के द्वारा ही सम्बंधित तहसीलदार के समक्ष प्रेषित किया जायेगा।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 19–07–2024 प्रार्थना पत्र संख्या क्रमांक राजस्व/2024/569 एवं पत्र क्रमांक रीडर/2024/588 दिनांक 29–07–2024 न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण को निरस्त फरमाया जावे ।

अपीलांट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी दिनांक 03/09/2024 को उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से नोटिस प्राप्त होने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 05/09/2024 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। मामले में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार निहित हैं। ऐसे में मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब माफ किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील के संलग्न अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किए हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चाहर उपस्थित हुए।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब अपील में अंकित किया गया है कि आराजीयात खसरा नंबर 1391/2 रकबा 1.4795 हेक्टेयर वाकै ग्राम कावरों का बास तहसील कि० रेनवाल में स्थित है। जिसमें सैटलमेंट के समय से डॉटेड रास्ता निकला हुआ था तथा उक्त रास्ता सुखाचार के आधार पर खोला गया है। उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है। प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त रास्ता सुखाचार में आने के कारण दिनांक 29/7/2024 को तहसीलदार कि० रेनवाल द्वारा बन्द रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये थे। पटवार हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नंबर 1391/2 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नंबर 1378 की सीमा तक चालू था जिसको 1391/2 के खातेदारों द्वारा बन्द कर दिया गया है। कथित रास्ता पूर्व से अर्थात सैटलमेंट के समय से ही मौके पर चालू रहा है तथा नवशा सैटलमेंट में भी उक्त रास्ता डॉटेड लाईन के रूप में दर्शित किया हुआ है। तथा खसरा नंबर 1391/2 के खातेदारों द्वारा उक्त रास्ता बन्द किये जाने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये बन्द रास्ता खुलवाया गया है जो उनके क्षेत्राधिकार में रहते हुये विधिक कार्यवाही की गई है। धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार को बन्द रास्ते को खुलवाये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा पीडित पक्ष ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत न कर सीधे तहसीलदार के समक्ष भी कानून प्रस्तुत कर सकता है। उक्त रास्ता सैटलमेंट के समय से ही चालू रहा है तथा उक्त रास्ते से आसपास के सभी काश्तकार आवागमन करते रहे है। पूर्व में भी दिनांक 21/7/2023 को खसरा नंबर 1391/1 के खातेदार द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया था जिस पर रेस्पोडेन्ट सं02 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार कि० रेनवाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। जिस पर खसरा नंबर 1391/1 के खातेदार द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में पुलिस थाना किशनगढ में रेस्पोडेंट सं02 ने राजीनामा प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया कि उक्त रास्ते को कभी बन्द नही करेंगे। पटवार हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 8/7/2024 को प्रस्तुत की गई है, उसमें यह तथ्य अंकित है कि वर्तमान में उक्त रास्ते पर कोई काश्त नहीं है। मात्र तारो के द्वारा उक्त रास्ते को बन्द किया हुआ है। अपीलांट को उक्त रास्ते की कार्यवाही के सम्बन्ध में शुरू से ही जानकारी रही है तथा उनको सूचित कर ही इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही थी। फर्द मौका दिनांक 23/7/2024 में भी पटवार हल्का ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु खसरा नंबर 1391/2 के खातेदार से सम्पर्क किया और उन्हें उक्त रास्ता चालू किये जाने हेतु कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अन्त में अपीलांट की अपील खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रा0 पत्र धारा 5 में अंकित किया गया है कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की जा रही थी उसके अनुसरण में बन्द रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा तैयार की गई व अपीलांट की उपस्थिति में तथा उनको सूचित कर तैयार की गई थी जो इस बात का प्रमाण है कि कथित आदेश के सम्बन्ध में अपीलांट को शुरू से ही जानकारी रही है। मामला आमजन की सुविधा व लोकनीति के पक्ष में है तथा अपीलांट द्वारा अवैध रूप से चालू रास्ते को बन्द किया है जो कि आम जन की रास्ते की सुविधाओं को महरूम किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात अपील में अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें रास्ते को

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पक्का करने का अनुतोष चाहा। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में मौके पर रास्ता चालू नहीं होने तथा ऐसा कोई डोटेड रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शा व राजस्व रिकोर्ड में उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा हल्का पटवारी को रास्ता खुलवाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने पर दिनांक 23–07–2024 को हल्का पटवारी ने तहसीलदार को पुनः रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें खसरा नम्बर 1391 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ता दर्ज होने तथा 1391/2 के खातेदारों द्वारा रास्ते को खोलने हेतु मना करने का तथ्य अंकित किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा 251 के तहत कार्यवाही करते हुए रास्ते को सुखाचार के आधार पर खुलवाने हेतु टीम गठित कर आदेश दिये गये। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ना ही कोई नोटिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित किया गया। बिना प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये ही तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा तथाकथित पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया गया है। मौके पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 08–07–2024 में कोई रास्ता दर्ज नहीं होने तथा ना ही वर्तमान में चालू होने का अंकन है। जब स्वयं प्रार्थी ने मौके पर रास्ता चालू होना बताया है तो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था क्योकि प्रार्थी द्वारा न तो रास्ता 1391/2 में बताया ओर ना ही अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा कि मौके पर रास्ता बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में तहसीलदार को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। आम रास्ते हेतु व्यक्तिगत रूप से प्रा0 पत्र 251 पेश नहीं किया जा सकता। नियमानुसार यदि कदीमी रास्ते को किसी व्यक्ति के द्वारा बंद कर दिया जाता है तो सर्वप्रथम उसके उपचार हेतु आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अगर ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन में निर्णय पारित नही किया जाता है तो प्रकरण ग्राम पंचायत के द्वारा ही सम्बंधित तहसीलदार के समक्ष प्रेषित किया जायेगा। पत्रावली ग्राम पंचायत में पेश नहीं की गई। तहसीलदार का कर्तव्य था कि वे पत्रावली ग्राम पंचायत में भेजते। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में हाल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1391/1 व 1391/2 पेश किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि दिनांक 29/7/2024 को तहसीलदार कि० रेनवाल द्वारा बन्द रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये थे। पटवार हल्का द्वारा अंकित किया है कि खसरा नंबर 1391/2 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नंबर 1378 की सीमा तक चालू था जिसको 1391/2 के खातेदारों द्वारा बन्द कर दिया गया है। उक्त रास्ता सैटलमेंट के समय से ही मौके पर चालू रहा है तथा नक्शा सैटलमेंट में भी उक्त रास्ता डॉटेड लाईन के रूप में दर्शित किया हुआ है। उक्त रास्ता बन्द किये जाने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये बन्द रास्ता खुलवाया गया है। रेस्पोडेन्ट सं02 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार कि० रेनवाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 8/7/2024 में अंकित है कि वर्तमान में उक्त रास्ते पर कोई काश्त नहीं है। मात्र तारों के द्वारा उक्त रास्ते को बन्द किया हुआ है। अपीलांट को उक्त रास्ते की कार्यवाही के सम्बन्ध में शुरू से ही जानकारी रही है तथा उनको सूचित कर ही इस

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

प्रकार की कार्यवाही की जा रही थी। फर्द मौका दिनांक 23/7/2024 में भी पटवार हल्का ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु खसरा नंबर 1391/2 के खातेदार से सम्पर्क किया और उन्हें उक्त रास्ता चालू किये जाने हेतु कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में गत नक्शे की प्रमाणित प्रति पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपील का मुख्य विवादित बिन्दु रास्ते को लेकर है। उक्त रास्ते के लगवा ख.नं. 1378 राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज है तथा ख.नं. 1391/2 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 23/07/2024 में अंकित है कि "पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस व डिजीटल शीट में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। खातेदार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई चक तराशि ट्रेस में ख. नं. 1391 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे डोटेड रास्ता दर्ज है।" जबकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19/07/2024 तथा हाल नक्शे में ऐसा कोई रास्ता चालू नहीं होने का अंकन किया गया है। अतः उक्त दोनों रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश क्रमांक 569 दिनांक 19/07/2024 तथा 588 दिनांक 29/07/2024 के संदर्भ में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके तथा रिकॉर्ड की जांच कर गुणावगुण पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
द्वितीय मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर